

प्रेषक,

श्री अमीर गांगुली,  
 तम्रुस्त सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
 शिक्षा केन्द्र 2 तम्रुस्त केन्द्र  
 प्रीति विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तकमकः दिनांक: 7 अगस्त, 1998

विषय:- ज्ञान स्वीय जावातीय स्कूल क्वॉं डेडा डटावा को सी०बी०एस्त०ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापरित्त प्रमाण पत्र दिवा जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे पत्र कलने का निदेश हुआ है कि ज्ञान स्वीय जावातीय स्वीय जावातीय स्कूल क्वॉं डेडा डटावा को सी०बी०एस्त०ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापरित्त प्रमाण पत्र दिवे जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापरित्त नहीं है :-

- 11) विद्यालय की पंजीकृत तोतापदी का सम्य सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवामित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वालिमेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15) संस्था वैधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्त्र वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिवे जायेंगे ।

- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें कसपी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अंशतक्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/यंत्रिकाओं में रखा जायेगा
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिषर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूर्त या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अज्ञात गाँवली  
संयुक्त सचिव ।

पुं० सं० 867111/15-7-1998 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्वयं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, ज्ञान राष्ट्रीय आवासीय स्कूल, इटावा । 206001 ।

आज्ञा है,

अज्ञात गाँवली  
संयुक्त सचिव ।